न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
15 / 2020	09 / 01 / 2020	25.11.2025

1. सीताराम पुत्र श्री गोबरीलाल जाति मीणा नि0 खोडावदा तह0 पीपल्दा

वादी

बनाम

1. सौभाग पुत्र शिशुपाल
2. विन्ताबाई पुत्री शिशुपाल
3. कस्तूरीबाई पत्नी शिशुपाल जाति मीणा नि0 खोडावदा तह0पीपल्दा कोटा
4. नंदबिहार पुत्र प्रहलाद
5. बाबूलाल पुत्र प्रहलाद
6. सीताबाई पत्नि प्रहलाद
7. द्वारक्याबाई पुत्री प्रहलाद
8. कौशल किशोर पुत्र गिर्राज
9. केदारीबाई पत्नी गिर्राज जाति मीणा निवासीगण लुहावद तह० पीपल्दा
10. रामप्रताप पुत्र हीरालाल
11. तस्वीरबाई पुत्री हीरालाल जाति मीणा निवासीगण दूधली तह0 पीपल्दा
12. रामप्रताद दत्तक पुत्र रत्ना जाति मीणा नि० दूधली तह. पीपल्दा कोटा
13. राजस्थान सरकार जर्ये तहसील पीपल्दा जि. कोटा

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री हरिमोहन मीणा एड0।
प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– एकतरफा।

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89, 188 आर.टी. एक्ट।</u>

निर्णय

वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जमाबंदी संवत 2036 से 39 के मुताबिक ख.नं. 16 की रकबा 11 बीघा 1 बिस्वों, 39 की 4 बीघा 7 बिस्वा, 64 की 3 बीघा 15 बिस्वा, 96 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा, 109 की 3 बीघा 9 बिस्वा, 119 की 2 बीघा 16 बिस्वा, 138 की 8 बिस्वा, 182 रकबा 7 बिस्वा, 196 की 3 बीघा 18 बिस्वा, 23 की 6 बिस्वा, 53 की 3 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 12 की कुल रकबा 38 बीघा 17 बिस्वा कृषि आराजी वाके माल ग्राम खोड़ावदा तह0 पीपल्दा जि0 कोटा राज में खातेदार शिशुपाल, श्रवण, पुत्रान छगना, प्रहलाद पुत्र केशरा, हीरा पुत्र मन्ना, रतना पुत्र मन्ना जाति मीणा निवासीगण खोडावदा तह0 पीपल्दा के खाते दर्ज चली आ रही है, जमाबंदी संवत 2036 से 39 वाद पत्र के साथ संलग्न है। पारिवारिक विभाजन के मुताबिक खं०नं० 109 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा प्रहलाद व रामप्रताप के हिस्से में था जिसकी कृषि काश्त प्रहलाद व रामप्रताप करते चले आ रहे है, उक्त भूमि का सेटलमेंट विभाग द्वारा सेटलमेंट किया गया, जिसके हाल खसरा नं० 135 रकबा 4.04 है बजंड दर्ज अंकित है, वर्तमान से उक्त भूमि सिवाय चक दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुताबिक शिशुपाल फोत हो चुका है, जिसके वारिसान प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 है, प्रहलाद फोत हो चुका है, जिसके वारिसान प्रति0कम 4 लगायत 7 है, गिर्राज फोत हो चुका है जिसमे वैध वारिसान प्रतिवादी क्रम 8 व 9 है, हीरालाल

फोत हो चुका है, जिसके वैध वारिसान प्रतिवादी क्रम 10 व 11 है, रतना फोत हो चुका है, जिसका वारिस प्रतिवादी क्रम 12 है। खातेदार प्रहलाद व रामप्रताप जाति मीणा नि०खोडावदा द्वारा रूपयों की आवश्यकता होने के कारण उक्त वर्णित कृषि आराजी पुराने ख.नं. 109 रकबा 3 बीघा 4 बित्वा बा जिसके हाल अ.नं. 135 रब्या 4.04 है०, अंकित है जो वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज है। वाके माल ग्राम खोड़ावदा तह0 पीपल्दा में स्थित कृषि आराजी पुराने खसरा नं. 109 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा जिसका सेटलमेंट विभाग द्वारा सेटलमेंट किया गया जिसके हाल खसरा नं. 135 रकबा 4.04है0 दर्ज अंकित किए गए, जब कि प्रतिवादी के खाते की भूमि को सिवायचक दर्ज करने का सेटलमेंट विभाग को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है, सेटलमेंट विभाग द्वारा सिवाय चक दर्ज करना कानूनन विपरित है, इसलिए प्रतिवादीगण के पिता प्रहलाद व रामप्रताप द्वारा उक्त पुराने खसरा नं. 109 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि वाके माल ग्राम खोडावदा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज को बिल एवज 50,000/— मात्र में वादी सीताराम पुत्र की गोबरीलाल जाति मीणा निवासी खोड़ावदा तह. पीपल्दा जिला कोटा को बेचान करके संपूर्ण रकम प्राप्त कर ली है, तथा मौके पर कब्जा केता श्री सीताराम पुत्र गोबरीलाल को संभला दिया गया तथा बेचान का इकरारनामा स्टाम्प कीमती 100रू किता 2 पर दिनांक 17—10—2000 को जिसके गवाह लटूरलाल योगी, बलराम नागर है, उक्त इकरारनामा क्रेता के पक्ष मे निष्पादित करवा दिया गया एवं उक्त इकरारनामा मनोज शर्मा एड0 के यहाँ नोटरी से तस्दीक किया गया एवं कहा गया कि जब भी केता कहेगा बैय शुदा भूमि की रजिस्ट्री क्रेता के पक्ष में करवा देगें एवं रजिस्ट्री खर्चा केता को वहन करना होगा। उक्त विवादित कृषि आराजी पुराने नं. 109 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा जिसके हाल ख.नं. 15 रकबा 4.04 है. पर वादी काबिज काश्त करता चला आ रहा है। वादी का इकरार नामा निष्पादित दिनाक 17. 10. 2000 से अनर्वरत रूप से कब्जा चला आ रहा है और कृषि काश्त स्वयं वादी करता चला आ रहा है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण के पिता प्रहलाद व रामप्रताप को उक्त जमीन की रजिस्ट्री के लिए कई मर्तबा कहां कि उक्त भूमि को मेरे नाम तह0 पीपल्दा में चलकर रजिस्ट्री करवा दो लेकिन मृतक प्रहलाद व प्रतिवादी क्रम 10 रामप्रताप बार—बार बहाना बनाते रहे, तथा उसी दौरान उक्त कृषि आराजी पर जबर्दस्ती कब्जा करने की धमकी देने लगे, लेकिन वादी द्वारा अपने उक्त कृषि आराजी पर बराबर कब्जा बनाये रखा, इस प्रकार वादी का उक्त कृषि आराजी पर प्रतिकुल कब्जा बदस्तूर निरन्तर चला आ रहा है। वादी द्वारा कय की गई उक्त कृषि आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है, तथा अपने अधिकारों एवं स्वत्व की घोषणा माननीय न्यायालय से करवाने का पूर्ण अधिकारी है तथा कब्जा मुतालफ खाना के आधार पर भी वादी उक्त कृषि आराजी को अपने खाते दर्ज करवाने का पूर्ण अधिकार है तथा प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 12 खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार। है। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा दिनांक 30.12.2019 को वादी को उक्त कृषि आराजी पर से बेदखल करने की धमकी देने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ है ।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन किया कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय के आदेश एवं डिक्री जारी की जाये कि पुराने ख.नं. 109 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा हाल ख.नं. 135 रकबा 4.04 है०, वाके माल ग्राम खोडावदा तह0 पीपल्दा को, मुताबिक इकरारनामा एवं कब्जा मुतालफखाना के अधार पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाये तथा वादी के शांति पूर्ण कब्जे में किसी भी तरह की मदाखलत व मजाहमत न तो स्वंय करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाये। तदानुसार डिक्री जारी की जावे तथा पालना हेतु प्रति वादी क्रम 13 को लिखा जावे।

वादी की ओर से वाद श्री हरिमोहन मीणा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी कम 1 ता 12 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने साक्ष्यवादी शपथ पत्र पी0डब्ल्यू0 1 सीताराम, पी0डब्ल्यू0 2 केदारलाल, पी0डब्ल्यू0 3 सुरेशचन्द पेश किए। वादी ने अपने वाद के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत 2036–39 प्रदर्श पी–1, मिलान क्षेत्रफल ग्राम खोडावदा 2041–60 प्रदर्श पी–2, मिलान क्षेत्रफल ग्राम खोडावदा संवत 2041–60 प्रदर्श पी–3, नक्शा ट्रेस ग्राम खोडावदा संवत 2012 प्रदर्श पी–4, नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 प्रदर्श पी–5, इकरारनामा बेचान दिनांक 17.10.2000 प्रदर्श पी–6 पेश किए। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस सुनी गई। बहस के तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों को मनन व अवलोकन किया गया। मनन व अवलोकन करने के उपरान्त पाया कि वादी ने अपने वाद के पक्ष में जमाबन्दी सं0 2036–39 के खाता सं0 19 की नकल पेश की है के अनुसार खाता सं0 19 कुल किता 12 की कुल रकबा 38 बीघा 17 बिस्वा है। परन्तु इनके नये नम्बर के सत्यापन हेतु सम्पूर्ण खसरो का मिलान क्षेत्रफल एवं उनसे बने खसरा नम्बरान की सेटलमेंट पश्चात की जमाबन्दी की नकल प्रस्तुत नहीं की है। जिससे यह पता नहीं चल पाता कि आया साबिक खाते से सेटलमेंट पश्चात नवीन खाता बनाते समय संबंधित खाते में से कितना रकबा कमी बेशी हुआ है तथा वादी यदि हाल ख0नं0 135 रकबा 4.04है0 पर काबिज की हो तो उसके अपने दावे की पुष्टि हेतु कब्जा काश्त का पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए था। परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर पत्रावली में कही भी ख0नं0 135 के कब्जे काश्त बाबात कोई साक्ष्य नहीं है। जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वादी प्रश्नगत ख0नं0 पर काबिज काश्त है। अनरजिस्टर्ड इकरारनामा स्टाम्प कीमतन 100 रू के आधार पर खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा राजस्व कानूनों में वर्जित है। अतः वादी का वाद सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिकी जारी है।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
15 / 2020	09 / 01 / 2020	25.11.2025

1. सीताराम पुत्र श्री गोबरीलाल जाति मीणा नि0 खोडावदा तह0 पीपल्दा
वादी

बनाम

1. सौभाग पुत्र शिशुपाल
2. विन्ताबाई पुत्री शिशुपाल
3. कस्तूरीबाई पत्नी शिशुपाल जाति मीणा नि0 खोडावदा तह0पीपल्दा कोटा
4. नंदबिहार पुत्र प्रहलाद
5. बाबूलाल पुत्र प्रहलाद
6. सीताबाई पत्नि प्रहलाद
7. द्वारक्याबाई पुत्री प्रहलाद
8. कौशल किशोर पुत्र गिर्राज
9. केदारीबाई पत्नी गिर्राज जाति मीणा निवासीगण लुहावद तह० पीपल्दा
10. रामप्रताप पुत्र हीरालाल
11. तस्वीरबाई पुत्री हीरालाल जाति मीणा निवासीगण दूधली तह0 पीपल्दा
12. रामप्रताद दत्तक पुत्र रत्ना जाति मीणा नि० दूधली तह. पीपल्दा कोटा
13. राजस्थान सरकार जर्ये तहसील पीपल्दा जि. कोटा

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री हरिमोहन मीणा एड0।
प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– एकतरफा।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89, 188 आर.टी. एक्ट।

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री हरिमोहन मीणा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू.................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है। डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 25.11.2025 को जारी किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		

खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा